## Order Sheet [Contd] \_\_\_\_\_\_\_ (Case No 311/2017 बी.ए

	Case IVU 311,	/ 2017 91.5
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
01-09-2017	आवेदक / अभियुक्त राजेश की ओर से श्री कं0पी0राठौर अधिवक्ता। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। अर्थोनस्थ जे.एम.एफ.सी. न्यायालय (सुश्री प्रतिष्टा अवस्थी) गोहद से प्र0क0 422/17 ई0फी0 प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त राजेश की ओर से अधिवक्ता श्री कं0पी0 राठौर हारा द्वितीय नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फी0 पेश कर निवेदन किया है कि प्रथम जमानत आवेदनपत्र दिनांक 18.08.17 को वल न देने के कारण निरस्त किया गया है। अवेदक/अभियुक्त की ओर से आवेदक के द्वारा कोई अपराध नहीं किया है उसे पुलिस थाना मालनपुर के द्वारा गलत रूप से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आवेदक अपने परिवार में एक मात्र कमाने वाला सदस्य है और अधिक समय तक निरोध में रहा तो उसके परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या उत्पन्त हो जावेगी। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तैयार है। अतः उसे उचित जमातन मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदिका/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। अभियोकत्री ने आवेदक के साथ जाने के कथन नहीं किए है और इसी आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है। यह सही है कि आवेदक/अभियुक्त की और से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदनपत्र बल न देने के कारण निरस्त किया जाना गुणदोष के समान है, किन्तु प्रकरण में यह देखा जाना होगा कि क्या गुणदोष के आधार पर भी आवेदक/अभियुक्त जमानत आवेदनपत्र बल न देने के कारण निरस्त किया जान गुणदोष के अधार पर भी आवेदक/अभियुक्त जमानत आवेदनपत्र विरा मानत होथा कि क्या गुणदोष के अधार पर मी आवेदक/अभियुक्त जमानत आवेदनपत्र विप के वारा पर मी आवेदक/अभियुक्त के कान के कारण निरस्त किया जान वारा है। पर नहीं थी। अभियोकत्री सनी के धारा 164 सी.आर.पी.सी. के कथनों में में कहना रहा है कि जब वह घर पर पर पहुंची तो रानी घर पर नहीं थी। अभियोकत्री सनी के धारा 164 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत अभिलिखित कथनों में रहे है। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते है। अभियोकत्र के अभियुक्त की अभिरक्षा में रखे जोन का कोई औवित्य प्र	MATERIA

अतः आवेदक/अभियुक्त पर लगाए गए आरोप की प्रकृति को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से संबंधित क्षेत्राधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 30000/— रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र निम्न शर्तों के अधीन पेश हो तो उसे जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

## शर्ते:-

- 1. आवेदक / अभियुक्त प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
- साक्ष्य को प्रभावित प्रलोभित नहीं करेगा।
- 3. जैसा अपराध किया है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगा। आदेश की प्रति सहित मूल अभिलेख संबंधित न्यायालय को बापस किया

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) ATTHERIA PRESIDENT TO STATE OF ए०एस०जे० गोहद